


प्रस्तुप 2 (नियम 11 (4) देखिए)



## कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (INDORE), मध्यप्रदेश

दूरभाष:-

फैक्स:-

ई-मेल:-

दिनांक:-

क्रमांक:-/261721303/स्कूल आई.डी. - 28390  
प्रति,

प्रबंधक,

(Indore Public School)

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदयमहोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 05/01/2019 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं अपनी  
स्कूल - Indore Public School, Hukma Khedi, A.B. Road, Rajendra Nagar, Indore को कक्षा Nursery से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक  
01/04/2019 से 31/03/2022 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी:-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपादान 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपादान 2) के उपर्योग का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के बाहर समूह तथा कमज़ोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रदेश देगा। उस दश में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु उस न्यूनतम पर्याप्त प्रतिशत के अधीन होगा बाहरी के जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि-स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के छण्ड (क) से (ग) के उपादान प्रिस्कूल में प्रवेश के लिए लागू होगे।
- पैर 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से दूर खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सेसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करना तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी व्यक्तिको प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इकाऊ नहीं करेगा-
  - (क) असु के सबूत के अभाव में;
  - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्यात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी अपार पर।

• स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-

- किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
- किसी बालक को भारीरिक या मानसिक रूप से प्रताङ्गित नहीं किया जाएगा;
- प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
- नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
- अधिनियम के उपादानों के अनुसार निःशुल्क अवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
- अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की अतीं की जाएगी; वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिक्षियन के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी;
- शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
- प्रायुवेट टीचिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।

Signature Not  
Verified

Digitaly Signed by  
RAJENDRA MUKWANI  
Date: 2019/03/31  
17:06:55 IST  
Reason: Digitally Signed  
Location: RSC

जाएगा।



SUDHA PANDEY

Principal

Director

Indore Public School

http://www.educationportal.mp.gov.in/ Date: 31/03/2019